

समक्ष माननीय न्यायाधीश वरिष्ठ जज अलियर सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.



Rg. 201-

- 1- परमानंद पिता गोमती प्रसाद ब्रा. सा.बेलकुड़ा
- 2- रामदास पिता रामजियावन ब्रा. सा.बेलकुड़ा
- 3- गंगा प्रसाद पिता बृजकिशोर ब्रा. सा. बेलकुड़ा
- 4- रामसुन्दर पिता चंद्रिका प्रसाद ब्रा. सा.बेलकुड़ा
- 5- सुरेश प्रसाद पिता चंद्रिका प्रसाद ब्रा. सा. बेलकुड़ा
- 6- सतानंद पिता रारमदीन ब्रा.सा.बेलकुड़ा
- 7- रामसजीवन पिता रामदास ब्रा.सा.बेलकुड़ा
- 8- रामसुशील पिता रामदास ब्रा.सा.बेलकुड़ा
- 9- द्वारिका प्रसाद पिता रामदास ब्रा.सा.बेलकुड़ा
- 10- सुदामा प्रसाद पिता चंद्रिका प्रसाद ब्रा.सा.बेलकुड़ा

R5357-II/16

सभी का थाना तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र.

.....आवेदकगण

बनाम्

- 1- रवि सिंह पिता स्व. राघवेन्द्र सिंह मॉ सकुन्तला सिंह सा.वार्ड क. 6 पॉडव नगर शहडोल जिला शहडोल तह. सोहागपुर
- 2- सेम्पल सिंह पिता स्व. राघवेन्द्र सिंह मॉ सकुन्तला सिंह सा.वार्ड क. 6 पॉडव नगर शहडोल जिला शहडोल तह. सोहागपुर
- 3- कल्पना सिंह पिता स्व. राघवेन्द्र सिंह मॉ सकुन्तला सिंह सा. वार्ड क. 6 पॉडव नगर शहडोल तह. सोहागपुर
- 4- भार्गवेन्द्र सिंह पिता शिवमंगल सिंह सा.बेलकुड़ा हाल मुकाम सूखा थाना व तह. ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र.
- 5- सकुन्तला सिंह पत्नी स्व. राघवेन्द्र सिंह सा. वार्ड क. 6 पॉडवनगर शहडोल तह. सोहागपुर
- 6- पुष्पेन्द्र सिंह पिता भार्गवेन्द्र सिंह सा. सूखा तह. ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र.
- 7- उपेन्द्र सिंह पिता भार्गवेन्द्र सिंह सा. हाल मुकाम सूखा थाना व तह. ब्यौहारी जिला शहडोल
- 8- भूपेन्द्र सिंह पिता भार्गवेन्द्र सिंह सा. हाल मुकाम सूखा थाना व. तह. ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र.

.....अनावेदकगण

म

R.

अधिवक्ता श्री सतीश्वर मिश्रा
"खात्री" द्वारा पेशा 4-2-16

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश

अनुविभागीय अधिकारी दिनांक 01.07.2016

तह. ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र.

अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक निग0 R5357-II/16

जिला-शहडोल

परमानन्द प्रसाद ब्रा0/ रवि सिंह

(1)	(2)	(3)
5-8-19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सन्तोष मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील व्यौहारी के प्रकरण क्रमांक 01/पुर्नविलोकन/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला शहडोल के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	